

13.12.22

वेक्टर प्रमाण स्वीकार
है।

अनुभव

आवेदन
अनुभव

आवेदन
अनुभव

पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपा.
लक्ष्मीनारायण रेवट से विनायक

उस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली वादी
द्वारा हेतु आयना दिनांक 17.01.23
को पेश है।

01/23 पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता उपा.

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय कदम
सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन
अवलोकन किया गया। छायांकित डिडी
की जायना रिपोर्ट में पेश वेक्टर प्रमाण
अनुसार पत्रावली स्वीकार योग्य है
से स्वीकार की जाती है। निर्णय पुस्तक
से विकल्प लिया जाकर शामिल
पत्रावली है। लक्ष्मीनारायण रेवट को
जायना हेतु लक्ष्मीनारायण रेवट को

पत्रावली कदम सुधार
होकर वही माहल से रुम की जायना
दाखिल करवाए है।

सुबोध कलेक्टर
(D. O.) वेक्टर